तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर. / 5079 / 2012 / हनुमानगढ़ नत्थूखॉ बनाम बरजीदेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6–2–2014	**एकलपीठ** **श्री आर.सी. गुप्ता, सदस्य** उपस्थितः– श्री शशिकान्त जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी श्री सोहनपाल सिंह चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0–1 से 4 श्री विकास पारॉशर, अधिवक्ता अप्रार्थी 5 से 9 के **निर्णय** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, भादरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–6–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने अप्रार्थी संख्या 5 से 10 के विरूद्व एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 बाबत रिकार्ड दुरूस्ती का उपखण्ड अधिकारी, भादरा के न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया कि चक 6 बी.एच. डी. के खाता संख्या 87 / 79 के मुरब्बा नंबर 57 के किला नंबर 23 ता025 प्रत्येक किला में 0.025 हेक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता भूमि को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में नहरी कृषि भूमि का अंकन कराने हेतु दिया । इसी दौरान प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया गया जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपने आदेश दिनांक 14–6–12 द्वारा निरस्त कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 14–6–12 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विवादित भूमि प्रार्थी की कृषि भूमि से चिपती हुई	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर. / 5079 / 2012 / हनुमानगढ़ नत्थूखॉ बनाम बरजीदेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि है तथा विवादित रास्ते ही प्रार्थी आवागमन करता है । उनका कथन है कि विवादित रास्ते के संबंध में सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 28 / 2012 ''नत्थू बनाम बरजी देवी'' में मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश दिया गया है । प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मौका कमिश्नर की रिपोर्ट, सिविल न्यायालय के निर्णय की प्रति, रास्ते की जमाबन्दी प्रस्तुत की थी जिन पर गौर किए बगैर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है । विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन सभी वादों में प्रार्थी पक्षकार है । विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाकर नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड आदेश दिया है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है । उनका कथन है कि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती । अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे । विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने तर्क दिया कि विवादित भूमि मुरब्बा नंबर 57 के किला नंबर 23 से 25 जो प्रार्थीगण की खातेदारी की है उक्त तीनों किला में प्रत्येक में जो 0.025 हेक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है वह रास्ता कभी चालू नहीं रहा है व उससे आगे उसी के समानान्तर नोहर है एवं पक्की सड़क है व तहसीलदार भादरा ने अपनी रिपोर्ट में उक्त रास्ते को सड़क बनने के बाद चालू नहीं बताया है । इस प्रकार प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते की भूमि पर आवागमन नहीं हो सकता । उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि है । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विचाराधीन दुरूस्ती के प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी को आवश्यक पक्षकार एवं हितबद्ध पक्षकार नहीं मानकर विधिसम्मत आदेश पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है । प्रार्थी द्वारा निगरानी अन्तरिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत किए जाने से पोषणीय नहीं होने से खारिज की जावे । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी. 2008 पेज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर. / 5079 / 2012 / हनुमानगढ़ नत्थूखॉ बनाम बरजीदेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	233, डी.एन.जे.(राज0)पेज 829, आर.एल.डब्ल्यू 2002(3) पेज 1719, 2004 डब्ल्यू.एल.सी.(यू.सी)राज0पेज 642, आर.आर.डी. 2012 पेज 124, न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए । विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने आपत्ति प्रकट की कि ऐसे प्रकरण धारा 136 अधिनियम में नहीं निर्णित किए जा सकते हैं। हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया । हस्तगत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें प्रार्थी ने आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार की हैसियत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के द्वारा कोई शपथ–पत्र एवं समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारणों से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज कर दिया था । प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उनको आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाने तथा जो अनुतोष अप्रार्थी द्वारा चाहा गया है वह उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं दिया जा सकता है , पर जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं उनका विवेचन निगरानी के स्तर पर किया जाना उचित नहीं समझते हैं । सर्वप्रथम हमें यह निर्णित करना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अन्तिम निर्णय है अथवा अन्तरिम निर्णय । यदि उक्त निर्णय अन्तरिम निर्णय है तो क्या राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी पोषणीय है ? अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं न्यायिक दृष्टांतों से हम सहमत हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को खारिज किया है । यह अन्तिम रूप से निर्णित प्रकरण नहीं होकर ''अन्तरिम निर्णय'' है तथा अधिनियम की धारा 84–ए के अनुसार अन्तरिम आदेश की निगरानी या अपील नहीं की जा सकती ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर. / 5079 / 2012 / हनुमानगढ़ नत्थूखॉ बनाम बरजीदेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अन्तरिम आदेश होने के कारण यह निगरानी 84–ए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संधारण योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना–पत्र को निर्णित करने में विधि के प्रावधान अथवा क्षेत्राधिकार के उल्लंघन का होना नहीं पाया जाता है । हस्तगत निगरानी जो अन्तरिम आदेश के विरूद्व की गई है वह पोषणीय नहीं है । अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । निर्णय की सूचना उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे । पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(आर.सी.गुप्ता)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / एलआर. / 5079 / 2012 / हनुमानगढ़ नत्थूखॉ बनाम बरजीदेवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए